(भारत के राजपत्र, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

सं. 6-3/2009-ईसीसीई

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2013

संकल्प

भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के इष्टतम विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी, साम्यपूर्ण तथा प्रासंगिक अवसरों के संवर्धन हेतु प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति पर विचार किया है। विधिवत विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति एतद्वारा अंगीकृत की जाती है।

(डा. श्रीरंजन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और योजना आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम लोगों की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डा. श्रीरंजन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति

1. प्रस्तावना

1.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन के निर्माण के प्रथम 6 वर्षों की वह अवस्था है जिसकी आयु विशिष्ट जरूरतों वाली भलीभांति चिह्नित उप अवस्थाएं (गर्भ धारण से जन्म तक, जन्म से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल तक) है जो जीवनचक्र दृष्टिकोण का पालन करती हैं । यह सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि है और यह उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाण यह पुष्टि करते हैं कि इस अवधि में मस्तिष्क के विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं आती हैं, जो पूरे जीवन चक्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मार्गों (पाथवे) और व्यवहार को प्रभावित करती हैं । जीवन के इस स्तर पर आई कमियां मानव विकास में स्थायी और संचयी विपरीत प्रभाव डालती हैं।

1.2 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखदेख और शिक्षा (ईसीसीई)[1] संरक्षित और अनूकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करता है। यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए एक अपरिहार्य आधार है जिसका प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ईसीसीई को वरीयता दिया जाना और इसमें निवेश करना आवश्यक है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए सुविधाहीनता के चक्र को तोड़ने और असमानता को दूर करने के लिए सबसे अधिक कारगर उपाय है जो दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ देता है।

1.3 भारत में 0-6 वर्ष आयु समूह के 15.87 करोड़ बच्चे हैं (जनगणना 2011) और देश में जनसंख्या के इस महत्वपूर्ण हिस्से के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु इनकी जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियां भली-भांति ज्ञात हैं।

1.4 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) नीति सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसवपूर्व अवधि से छह वर्ष की आयु तक सतत रूप से समेकित सेवाएं प्रदान करने की भारत सरकार की वचनबद्धता की अभिपुष्टि करती है। यह नीति प्रत्येक बच्चे की देखरेख और प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों की उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त करती है। यह नीति बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण, मनो-सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के बीच सहक्रियात्मक और परस्पर निर्भरता को स्वीकार करती है ।

---

[1] इस नीति के प्रयोजनार्थ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (ईसीसीई) = प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) = प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ईसीडी) =प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास (ईसीसीडी) = समेकित बाल विकास (आईसीडी) सभी छोटे बच्चे के व्यापक विकास को संवर्धित करते हैं ।

2. नीति के संदर्भ और आवश्यकता

2.1 सामाजिक संदर्भ

2.1.1 भारत में बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों को महत्व देने की परम्परा रही है तथा बच्चों के विकास को उत्प्रेरित करने की एवं उन्हें संस्कार, बुनियादी मूल्यों और सामाजिक कौशल प्रदान करने की प्रथाओं की भी एक समृद्ध धरोहर रही है। पहले यह मुख्य रूप से परिवारों में बाल देखरेख की पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से दी जाती थी जो सामान्यत: परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती थी । पिछले कुछ दशकों में परिवार और उसके साथ-साथ सामाजिक संदर्भ परिवर्तित हो गए हैं और साथ ही साथ विश्व स्तर पर अब प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को समझा जाने लगा है।

2.1.2 परिवारों, समुदायों और सेवाओं के सामर्थ्य को सुदृढ करने और प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की उत्तम देखरेख और शिक्षा को सुनिश्चित करना भारत के लिए प्राथमिकता है । जेंडर (लिंग), सामाजिक पहचान, अपंगता तथा अन्य भेदभाव के कारणों पर आधारित असमानताओं एवं भेदभावों का समाधान सक्रियतापूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता है ताकि नि:शुल्क सार्वभौमिक शाला-पूर्व शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए समेकित सेवाओं की व्यापक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक संदर्भों एवं पारिवारिक विविधताओं को उपयुक्त रूप से समझा जाए ताकि कार्यक्रमों में उपयुक्त प्रावधानों के द्वारा माता-पिताओं और देखभालकर्ताओं के योगदान द्वारा संतुलित पेरेटिंग की जा सके।

2.2 नीति संदर्भ

2.2.1 भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद-45, के माध्यम से भारत सरकार ने ईसीसीई के महत्व को पहचाना, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि 'राज्य सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखदेख एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक वे छ: वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते।

2.2.2 बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू किया गया, ने भी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत ईसीसीई का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है "प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरा करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए नि:शुल्क विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी ।" (बालकों के साथ बालिकाएं भी शामिल हैं)

2.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति 1974 में भी ईसीसीई की ओर ध्यानाकर्षित किया गया जिसके परिणामस्वरूप समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) 1975 में प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई जिसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण और समेकित विकास की नींव रखना तथा देखभालकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना था। 11वीं योजनावधि में आईसीडीएस के अंतर्गत 14 लाख बस्तियों को शामिल कर इसका व्यापीकरण किया गया। आगामी योजनाओं में गुणवत्ता के साथ-साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के सर्वव्यापीकरण को वास्तविक रूप दिया जाए, यह सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से संबंधी सुधार किए जा रहे हैं ।

2.2.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ईसीसीई को मानव विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश समझती है और बाल विकास के व्यापक तथा समेकित स्वरूप को मान्यता देती है। राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) ने भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बाल देखरेख और पोषण के लिए हस्तक्षेपों की सिफारिश की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अंतर्गत ईसीसीई पर स्थिति दस्तावेज (पोजिशन पेपर) सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) और राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (2005) भी प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए सहायक नीतिगत प्रयास हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) को एक ऐसी अवस्था के रूप में महत्व दिया है जिसमें जीवन पर्यन्त विकास तथा बच्चे की पूर्ण योग्यता को साकार करने की नींव डाली जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आईसीडीएस (एडब्ल्यूसी) के अतिरिक्त सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ईसीसीई में व्यवस्थागत सुधार के क्षेत्रों में समाधान की आवश्यकता पर जोर देती है ।

2.2.5 भारत, बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी)1989 तथा सब के लिए शिक्षा (सर्वशिक्षा) 1990 सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है। 'सीखने की शुरूआत जन्म से ही दी जाती है' अत: 'सभी के लिए शिक्षा' (ईएफए) ने ईसीसीई को सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रथम लक्ष्य माना है । डाकर फ्रेमवर्क फार एक्शन (2000) और मास्को फ्रेमवर्क फार एक्शन (2010) ने भी ईसीसीई के लिए वचनबद्धता की अभिपुष्टि की है ।

2.3. कार्यक्रम संदर्भ

2.3.1 ईसीसीई सेवाएं सार्वजनिक, निजी तथा गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती हैं ।

जन माध्यम ईसीसीई सेवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है । ऐतिहासिक रूप से विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम आईसीडीएस का एक अनिवार्य उद्देश्य एवं सेवा ईसीसीई प्रदान करना

है । आज आईसीडीएस कार्यक्रम 14 लाख अनुमोदित आंगनवाडी केंद्रों(एडब्ल्यूसी) के नेटवर्क के माध्यम से छः वर्ष की आयु से कम के लगभग 8 करोड़ बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है । प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम जैसे सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और प्रारंभिक स्तर तक लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) भी ईसीसीई केंद्र स्थापित करने में सहायक रहे हैं । देश के जिन क्षेत्रों में आंगनवाडी केंद्रों की सुविधा अब तक नहीं थी, वहां तत्कालिक व्यवस्था करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में ईसीसीई केंद्र खोले गए थे ।

2.3.2 शिशुगृह सेवाएं सार्वजनिक योजनाओं और सांविधिक प्रावधानों, दोनों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को देखरेख और शिक्षा सेवाएं प्रदान करती है और 2011-12 के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि देश में कुल 23,785 शिशुगृह (एमडब्ल्यूसीडी वार्षिक रिपोर्ट 2011-12) चल रहे हैं । सांविधिक शिशुगृह सेवाओं में कानूनी रूप से अधिदेशित शिशुगृह शामिल हैं जैसे (क) खनन अधिनियम, (1952), (ख) फैक्टरी (संशोधित) अधिनियम (1987) (ग) बागान श्रम अधिनियम (1951) (घ) भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम (1996) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005)[2] इत्यादि ।

2.3.3 बहुत से अन्य राष्ट्रीय सरकारी कार्यक्रम भी सबको गुणवत्तापूर्ण मूल सुविधाएं देने में सहायता करते हैं- जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पूर्णस्वच्छता और पेय जल अभियान, लक्षित और सशर्त स्कीमें जैसे जननी सुरक्षा योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रसव लाभों के प्रावधान जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और बाल देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं । इसके अलावा, कई योजनाएं हैं, जैसे समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि परिवारों में बच्चों की देखरेख करने के अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग दें ।

2.3.4 अनियमित निजी माध्यम (संगठित और असंगठित) ईसीसीई सेवा प्रदान करने वाला संभवत: दूसरा बड़ा माध्यम है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनकी पहुंच का निरन्तर विस्तार हो रहा है यद्यपि इनकी गुणवत्ता में विविधता है । यह माध्यम पहुंच में असमानता, गुणवत्ता में विषमता तथा बढ़ते हुए व्यापारिकरण के मुद्दों से ग्रस्त है ।

---

[2] कवरेज के संबंध में वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

2.3.5 गैर सरकारी माध्यम में भी ईसीसीई के लिए लघु पैमाने पर कुछ प्रयास किए गए हैं जिन्हें प्राय: न्यासों, सोसाइटियों, धार्मिक समूहों अथवा अंतर्राष्ट्रीय निधि अभिकरणों द्वारा सहायता दी जाती है ।

2.3.6 इन सभी सेवा प्रदाताओं के सेवा प्रदाय संबंधी मानकों, मानदंडों और विनियमों के अनुसार सभी कार्यकलापों में समन्वय लाने की आवश्यकता है । इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है ।

2.3.7. बहुल सेवा प्रदाताओं के होने के बावजूद, ईसीसीई प्रावधानों के लाभ उठाने वाले बच्चो की वास्तविक संख्या और विभिन्न प्रकार एवं प्रदत्त सेवाओं के अनुसार विवरण के विश्वस्त आंकड़े उपलबध नहीं हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार छह वर्ष से कम उम्र के वर्ग के 15.87 करोड बच्चों (जनगणना 2011) में से लगभग 7.65 करोड़ बच्चे अर्थात 48.2 प्रतिशत बच्चे आईसीडीएस के अंतर्गत शामिल किए गए हैं । आईसीडीएस सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन में गुणवत्ता पर बल देने के कारण ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं । मोटे तौर पर, अनुमानों से संकेत मिलता है कि निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी बड़ी संख्या में बच्चों को शामिल किया गया है और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा भी सीमित संख्या में बच्चे शामिल किए गए हैं जिसके संबंध में विश्वस्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

2.3.8 इन बहुल सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की गई अनौपचारिक शाला पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में विषमता है तथा इनके शैक्षिक कार्यक्रमों में भिन्नता है जो कि न्यूनतम से लेकर औपचारिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देने वाले हैं । यह मुख्य रूप से सभी स्टेकहोल्डरों में ईसीसीई की अवधारणा की अपूर्ण समझ और इसके मूल आधार, दर्शन और महत्व को न समझने का परिणाम है । इसके साथ ही गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पद्धति में अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, विनियामक तंत्रों के अभाव ने इस समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है ।

2.4 उपरोक्त संदर्भ में नीति मे समुचित सुधार, उपाय और उचित कार्रवाई शामिल करके पूरे देश में छ: वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ।

3. नीति

3.1 राष्ट्रीय ईसीसीई नीति बच्चों के चहुंमुखी और सर्वांगीण विकास में सहायता देने के लिए विकासात्मक निरंतरता की प्रत्येक उप अवस्था पर देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा पर बल देते हुए बच्चे के संपूर्ण और समेकित विकास की धारणा को पुष्ट करती है । यह दायित्व

बहुत से देखरेख प्रदाताओं जैसे माता-पिता परिवारों, समुदायों और अन्य संस्थागत तंत्रों जैसे सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के द्वारा निभाया जाना है ।

3.2 आयु विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उप अवस्थाएं निम्नलिखित हैं-

i. गर्भधारण से जन्म तक - प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात् माता की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल, मातृत्व परामर्श, सुरक्षित बालजन्म, प्रसव हकदारी, बाल संरक्षण और भेदभाव रहित वातावरण ।

ii. जन्म से तीन वर्ष तक - उत्तरजीविता, सुरक्षा, संरक्षित वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, पहले छ: माह तक शिशु और छोटे बच्चों के पोषण सहित दुग्धपान अभ्यास, बड़ों के साथ जुड़ाव, घर और उचित बाल देखरेख केंद्रों के सुरक्षित, पोषक और प्रेरक वातावरण में उद्दीपन तथा पारस्परिक क्रिया एवं संवाद के अवसर ।

iii. तीन से छ: साल तक- जोखिमों से बचाव, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, बड़ों के साथ जुड़ाव, पांच से छह साल के बच्चों के लिए संरचित और सुनियोजित स्कूल के लिए तैयारी घटक के साथ खेल आधारित विकासानुकूल शाला पूर्व शिक्षा ।

3.3 समुचित तकनीकी मानकों और स्तरों के अनुसार ईसीसीई सेवाएं प्रदान करने के लिए ये आयु विशिष्ट आवश्यकताएं आधार हैं । बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय ईसीसीई नीति अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों के तालमेल से करेगी ।

3.4 नीति स्वीकार करती है कि बच्चों की सबसे अच्छी देखरेख उनके पारिवारिक वातावरण में होती है, तथापि व्यापक भिन्नताओं और स्तरों के इस देश में बहुत से परिवारों को बच्चे के ईष्टतम विकास के लिए सहायक उपायों की आवश्यकता है । अत: यह नीति ईसीसीई सेवा प्रदान करने के विभिन्न मॉडलों को स्वीकारती है और यह सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं के सभी संगठन नामत: आंगनवाड़ी केंद्र, शिशुगृह, प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल, शाला पूर्व केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूल, बालवाड़ी और गृह आधारित देखरेख इत्यादि ईसीसीई के सभी कार्यक्रमों पर लागू होगी ।

4. नीति की अवधारणा

4.1 नीति की अवधारणा छह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की क्षमता के पूर्ण विकास की नींव डालने हेतु नि:शुल्क, व्यापक, समावेशी, समतापूर्ण, आन्नदपूर्ण और प्रासंगिक अवसरों द्वारा उनका सर्वांगीण विकास करना और उनमें सक्रिय अधिगम क्षमता का विकास करना है ।

यह नीति देश भर में उपयुक्त तंत्रों, प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों द्वारा समुचित वातावरण बनाते हुए घर में प्रदत्त देखरेख एवं शिक्षा से केंद्र आधारित ईसीसीई तक और तत्पश्चात् विद्यालय तक का सफर सुचारू और सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए मार्ग प्रशस्त करती है ।

इस नीति की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार निम्नलिखित **उद्देश्यों** के द्वारा मार्ग दर्शित होगी :

i. गर्भधारण से छह वर्ष की आयु तक बच्चे के संपूर्ण हित और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल देखरेख सहायता, संरचना और सेवाओं की सुविधा प्रदान करना ।
ii. ईसीसीई को सर्वव्यापी एवं सुदृढ करना और असुरक्षित बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों के समावेशन अनुकूल नीतियाँ सुनिश्चित करना ।
iii. बच्चों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्ता सेवाएं विकसित करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समर्थ मानव संसाधन की व्यवस्था करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना ।
iv. ईसीसीई प्रावधानों के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना और पाठ्यचर्या की रूप रेखा बनाना तथा समुचित संस्थागत प्रबंधों के माध्यम से उसे लागू करना और उनकी हिमायत करते हुए उनका प्रयोग व व्यवहार में लाना सुनिश्चित करना ।
v. ईसीसीई के विषय में जागरूकता लाना और उसके महत्व के विषय में सामान्य समझ बनाना तथा संस्थागत और कार्यक्रम संबंधी उपायों और अपेक्षित प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग के माध्यम से छोटे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समुदायों और परिवारों में सुदृढ साझेदारी को प्रोन्नत करना ।
vi. बहुल संदर्भों और परिवेशों की भिन्नता को पहचानना, सांस्कृतिक रूप से समुचित रणनीतियों और सामग्रियों को विकसित और प्रोन्नत करना और स्थानीय रूप से अनुकूल उपायों का प्रयोग करते हुए भागीदारी तथा विकेंद्रीकृत शासन के प्रारूप के अनुसार कार्य करना ।

5. नीति के मुख्य क्षेत्र

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करती है-

क. समतापूर्ण पहुंच और कार्यक्रमों में समावेशन तथा सेवा प्रदाताओं के संपर्क में हस्तक्षेप

ख. गुणवत्ता में सुधार करना (न्यूनतम विशिष्टताएं, गुणवत्ता मानक विनियम, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, खेलकूद और शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम मूल्यांकन और बच्चे का आकलन)

ग. क्षमता को सुदृढ़ करना (संस्थाएं, कार्मिक, परिवार और समुदाय)

घ. मानीटरिंग और पर्यवेक्षण (एमआईएस, राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् इत्यादि)

ङ. अन्वेषण और प्रलेखीकरण

च. जागरुकता और हिमायत

छ. नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समभिरूपता और समन्वयन

ज. सांस्थागत और कार्यान्वयन व्यवस्थाएं (ईसीसीई केंद्र, राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद्, कार्य योजनाएं

झ. भागीदारी

ञ. ईसीसीई के प्रति निवेश में वृद्धि

ट. समीक्षा

5.1 समतापूर्ण और समावेशन सहित व्यापक पहुँच

सरकार ईसीसीई सेवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी :-

5.1.1 सरकार विकेंद्रीकृत और प्रासंगिक उपायों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए ईसीसीई की व्यापक और समतापूर्ण पहुँच प्रदान करेगी ।

5.1.2 ईसीसीई की प्राप्ति मुख्य रूप से आईसीडीएस के माध्यम से तथा अन्य संबंधित समभिरूप क्षेत्रों/कार्यक्रमों के साथ तालमेल के द्वारा सार्वजनिक व अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे निजी और गैर-सरकारी माध्यम से होगी । सर्वाधिक सीमान्त और असुरक्षित तथा वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी ।

5.1.3 धारा 3 में परिभाषित प्रत्येक उप-अवस्था के लिए सरकार सेवाओं की व्यापक पहुँच प्रदान करेगी जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, आयु के अनुसार उचित देखभाल, संरक्षित और अनुकूल माहौल में उत्प्रेरण और प्रारंभिक अधिगम शामिल होंगे । ऐसे ईसीसीई केंद्र निर्धारित जनसंख्या मानकों के अनुसार संचालित होंगे और अधिमान रूप से इन्हें 500 मीटर के अंदर स्थापित किया जाएगा ।

5.1.4 नजदीकी ईसीसीई केंद्र तक पहुँच की संकल्पना को, जिसमें अधिक कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के दाखिले के लिए प्रावधान शामिल होंगे, निजी और गैर-सरकारी सेवा प्रावधान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा ।

5.1.5 ईसीसीई केंद्र में दाखिले के लिए किसी भी बच्चे का लिखित अथवा मौखिक टेस्ट नहीं लिया जाएगा ।

5.1.6 ईसीसीई में जीवन चक्र दृष्टिकोण और बाल विकास परिणामों को प्राप्त करने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाडी केंद्र को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय और मानव संसाधनों सहित 'सक्रिय बालोनुकूल ईसीडी केंद्र' के रूप में पुन: स्थापित किया जाएगा।

5.1.7 तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सेवाओं के पूर्ण क्षेत्र जैसे देखभाल, नियोजित प्रारंभिक प्रेरक घटक,स्वास्थ्य, पोषण, और पारस्परिक क्रियात्मक वातावरण सहित आंगनवाड़ी सह शिशुगृह को विकसित किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो समुदाय की अवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में बढ़ाया जाएगा ।

5.1.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम तथा संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रों द्वारा सांविधिक कानूनों (अर्थात् मनरेगा अधिनियम, भवन और अन्य निर्माण अधिनियम, कर्मकार अधिनियम) के तहत शिशुगृहों के क्रियान्वयन को पुन: क्रियान्वित किया जाएगा तथा इस नीति के प्रावधानों के अनुसार उनमें सुधार किया जाएगा । लक्षित जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशुगृहों के अन्य मॉडलों को लचीलेपन के साथ गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में कार्य करने हेतु सुदृढ़ किया जाएगा ।

5.1.9 सभी बच्चों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विलम्बित विकास और विकलांगता के जोखिम वाले बच्चों के लिए उपयुक्त, अनुकूल, एवं रेफरल के साथ शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपों के उपाय किए जाएंगे। ईसीसीई कार्यक्रमों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए संबंधित कार्यक्रमों/क्षेत्रों में समुचित संबंध स्थापित किए जाएंगे ।

5.1.10 परिवार/समुदाय और गैर सरकारी संगठनों द्वारा ईसीसीई सेवा प्रदाय के मॉडलों को प्रयोग करके उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा ।

5.1.11 शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की विशिष्ट अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी कार्यनीति तैयार की जाएगी और अपनायी जाएगी ताकि सभी शहरी बस्तियों/ झुग्गी बस्तियों इत्यादि में रहने वाले बच्चों तक ईसीसीई की पहुँच का विस्तार हो सके । इसे सुगम बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र एवं शहर योजना से संबंधित

नियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि नजदीकी ईसीसीई/बाल विकास केंद्र हेतु स्थान का प्रावधान हो सके ।

5.1.12 सभी छोटे बच्चों के लिए ईसीसीई सहित समेकित बाल विकास को आईसीडीएस के माध्यम से सर्वसुलभ बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है । इसके अतिरिक्त सरकार गैर सरकारी, बिना लाभ के लिए और लाभ के लिए सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को आवश्यकता और व्यवहारिकता के अनुसार अनुपूरित करने की और सहायता प्रदान करने की संभावनाओं को तलाशेगी ।

5.1.13 प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ाव को कारगर बनाया जाएगा ताकि स्कूल-तैयारी-पैकेज के माध्यम से ईसीसीई केन्द्र से प्राइमरी स्कूल तक के सतत एवं सुचारू पारगमन संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके ।

5.2 गुणवत्ता सुनिश्चित करना

सरकार प्रतिमान तथा गुणवत्ता मानक निर्धारित करके, पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करके, खेल की उपयुक्त तथा पर्याप्त सामग्री के प्रावधान, कार्यक्रम-मूल्यांकन तथा बाल आंकलन करने के बहु उन्मुखी उपायों के माध्यम से ईसीसीई की विकासानुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देगी ।

5.2.1 बच्चों को प्राप्त ईसीसीई की गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए ईसीसीई के लिए मूलभूत गुणवत्ता मानक और विनिर्दिष्टियां निर्धारित की जाएंगी जो सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं पर लागू की जाएंगी ।

ईसीसीई गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखत आधारभूत मानकों में समझौता नहीं किया जाएगा और ये किसी भी प्रकार की ईसीसीई सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होंगे ।

- तीन-चार घंटे की अवधि का ईसीसीई कार्यक्रम ।
- 30 बच्चों के एक समूह के लिए कम से कम 35 वर्गमीटर माप का एक अध्ययन कक्ष और पर्याप्त 30 वर्ग मीटर (कम से कम) खुले स्थान की उपलब्धता ।
- पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ ।
- मातृभाषा/स्थानीय देशी भाषा में संपादित विकासानुकूल, बाल केंन्द्रित पाठ्यक्रम ।
- पर्याप्त विकासानुकूल खिलौने और शिक्षण सामग्री ।
- एक सुरक्षित भवन जिस तक पहुँच सरल हो । भवन साफ होना चाहिए तथा इसके आसपास हरित-क्षेत्र होना चाहिए ।

- पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल की सुविधा ।
- लड़कियों तथा लड़कों के लिए पर्याप्त तथा अलग-अलग बालानुकूल शौचालय तथा हाथ धोने की सुविधाएं ।
- संतुलित पोषक आहार बनाने के लिए और बच्चों के लिए सोने/ आराम के लिए अलग स्थान आबंटन ।
- केंद्र में तत्काल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक उपचार / (मेडिकल) चिकित्सा किट की उपलब्धता ।
- वयस्क/देखभालकर्ता : 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात 1:20 और 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1:10 का अनुपात होना चाहिए । किसी भी समय पर बच्चे बिना व्यस्क/देखरेख के नहीं रहने चाहिए ।

5.2.2 राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् द्वारा, इसकी स्थापना के एक वर्ष के भीतर, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए जो ईसीसीई की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अथवा जो आंशिक रूप से ईसीसीई सेवाएं प्रदान करते हैं, मूल गुणवत्ता निवेश और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, ईसीसीई विनियामक ढांचा बनाएगा जिसे इस नीति की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर समुचित परिस्थिति के अनुसार राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । ऐसा कार्यान्वयन एक चरणबद्ध तरीके से होगा जो पंजीकरण से प्रत्यायन और अन्ततः सभी ईसीसीई सेवा प्रावधानों के विनियमन को प्रगामी रूप से गतिशील बनाएगा ।

गुणवत्ता मानक अन्य बातों के साथ-साथ भवन और आधारभूत सुविधा, देखभालकर्ता-बच्चों के बीच पारस्परिक संबंध, बच्चों के लिए नियोजित अधिगम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण हेतु उपाय, स्टाफ की योग्यता और व्यावसायिक विकास, माता-पिता और समुदाय की सहभागिता तथा ईसीसीई प्रावधान के संगठन और प्रबंधन से संबंधित होंगे ।

5.2.3 इस नीति की अधिसूचना के छह माह के अन्दर एक विकासानुकूल राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की जाएगी । राष्ट्रीय ईसीसीई पाठयचर्या की रूपरेखा विकास के क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषा, संज्ञान, समाजिक-वैयक्तिक, भावनात्मक और रचनात्मक और सौन्दर्यपरक मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए एक समेकित, खेल पर आधारित, प्रायोगिक और बालोनुकूल पाठ्यक्रम के माध्यम से समाधान करेगी। यह कार्यान्वयन विवरणों जैसे कार्यक्रम आयोजना के सिद्धांतों, माता-पिता और देखभालकर्ताओं/ईसीसीई अध्यापकों की भूमिका, आवश्यक खेल सामग्री और मूल्यांकन प्रक्रिया

इत्यादि का निर्धारण करेगी। शारीरिक दण्ड से रहित एक समर्थ और प्यार भरा वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

5.2.4- ईसीसीई कार्यक्रमों में बोलचाल का माध्यम बच्चे की मातृभाषा/घर की भाषा/स्थानीय देशी बोली होगी। लेकिन इस आयु में बच्चों में कई भाषाओं को सीखने की क्षमता होने के कारण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी को मौखिक रूप में, जैसी जरूरत हो, सार्थक रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे । बच्चे की भाषा का आदर करते हुए तथा प्रारंभिक वर्षों में बच्चे की बहुत सी भाषाओं में अभिव्यक्ति की सुनम्यता का प्रयोग करते हुए एक बहुभाषी रणनीति अपनाई जाएगी।

5.2.5. सरकार समुचित उपकरणों और निर्देशों द्वारा सुरक्षित, बालोनुकूल और विकासोन्मुख खेल व शिक्षण सामग्री और खेलने के लिए स्थानों का प्रावधान सुनिश्चित करेगी। ईसीसीई परिवेशों में सरकार पारम्परिक गानों, कहानियों, लोरियों, लोक कथाओं, स्थानीय खिलौनों और खेलों के शिक्षण और खेल सामग्री के रूप में प्रयोग को बढ़ावा देगी ।

5.2.6. राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद मूल्यांकन संबद्ध गुणवत्ता मानदंड जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भवन और आधारभूत सुविधाएं ; बच्चों और देखभालकर्ता के बीच संबंध ; बच्चों के लिए नियोजित अधिगम अनुभव, स्वास्थ्य, पोषण और संरक्षण उपाय ; स्टॉफ की योग्यता और वृत्तिका विकास ; माता-पिता तथा समुदाय की सहभागिता तथा फीस से संबद्ध मामलों सहित ईसीसीई प्रावधान का संगठन तथा प्रबंधन शामिल है, के अनुसार संगत-मूल्यांकन मानदंडों और कार्य-प्रणालियों को अपनाते हुए ईसीसीई के सभी सेवा प्रावधानों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी ।

5.2.7. ईसीसीई केंद्र में निर्माणात्मक (फारमेटिव) और सतत् बाल आकलन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों की विकासोन्मुख जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है ।

5.2.8. सूचना, संप्रेषण प्रौद्योगिकी की क्षमता सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी को अनुकूल रूप से तथा उपयुक्त रूप से बच्चों की विकासात्मक और अधिगम जरूरतों की पूर्ति के लिए तथा मानीटरिंग, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के कार्य में इस्तेमाल किया जाएगा ।

5.3. क्षमता को सुदृढ़ करना

5.3.1 प्रशिक्षित मानव संसाधनों की उपलब्धता में भारी कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के लिए मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए एक सकारात्मक योजना तैयार करेगी जिसमें राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान(निपसिड), इसके क्षेत्रीय केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र (ए.डब्ल्यू. टी.सी.), मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र (एम.एल.टी.सी.) और आवश्यकतानुसार निश्चित समय-सीमा में नए केंद्र स्थापित करेगी । इसी प्रकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्(एनसीईआरटी), राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी), राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (एस आई आर टी), जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (डीआई ई टी) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस आई आर डी) और उनके विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, इग्नू, एन आई ओ एस के केंद्र जैसे अन्य संस्थानों को भी उपलब्ध प्रशिक्षित जनशक्ति को बढ़ाने के लिए संबद्ध किया जाएगा । सरकार सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्यायन(एक्रेडिटेशन) और मान्यता के लिए गुणवत्ता के मानक तथा एक विनियामक प्रारूप तैयार करेगी ।

5.3.2. ईसीसीई के क्षेत्र को विभिन्न ईसीसीई कार्मिकों के लिए विनिर्दिष्ट योग्यताओं, विकास मार्गों, स्पष्ट परिभाषित भूमिका तथा क्षमता निर्माण के सभी स्तरों पर पेशेवर बनाया जाएगा। ईसीसीई कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को विभिन्न आयु वर्ग और बहुभाषी बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संचालन करने के लिए सुदृढ़ीकृत किया जाएगा । क्षेत्र में पेशेवर योग्यता वृद्धि के लिए सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न स्तर के ईसीसीई पेशेवरों के व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास की रणनीति के लिए योजना बनाई जाएगी।

5.3.3. ईसीसीई कार्मिकों को लगातार सहायता प्रदान करने के लिए निपसिड और इसके क्षेत्रीय केन्द्र मुख्य बाल विकास संसाधन केन्द्र होंगे (जैसे हेल्पलाइन, प्रशिक्षण, परामर्श केन्द्र, क्षमता विकास केन्द्र, आकलन केन्द्र और एडवोकेसी हब) । इसके साथ ही राज्यों को भी राज्य और जिला स्तर पर उनके अपने संसाधन केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.3.4. नीति स्वीकार करती है कि छोटे बच्चों की उनके पारिवारिक माहौल में ही सर्वोत्तम देखरेख हो सकती है इसलिए बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए परिवार की क्षमताओं को सुदृढ़ करने को उच्चतम अग्रता प्रदान की जाएगी। माता-पिता और परिवार के सदस्यों को शिशु और बच्चों को खिलाने के अभ्यास, विकास मानीटरिंग, प्रेरणा, खेलकूद और प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाएगा। ईसीसीई कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में

माता-पिता और अन्य समुदाय सदस्यों के शामिल होने को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाएगा।

6. मानीटरिंग एवं समर्थित निरीक्षण

6.1 ईसीसीई गुणवत्ता के लिए विशिष्ट परिणाम संकेतकों के अनुसार विभाजित, ठोस और आंकने में सुलभ निवेश सहित एक व्यवस्थित मानीटरिंग प्रारूप पर आधारित ईसीसीई कार्यक्रमों के मानीटरिंग और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जाएगा। उचित प्राधिकारी और राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद्, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग सहित इस मानीटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे। प्रबन्धन सूचना पद्धति और स्वतन्त्र सर्वेक्षण इत्यादि को सत्यापन के विभिन्न उपायों के रूप में अपनाया जाएगा।

6.2. सारे देश में आंकड़ा एकत्रीकरण/उत्पत्ति और सूचना प्रबन्धन के लिए एक मजबूत पद्धति बनाई जाएगी जिसके अन्तर्गत ईसीसीई आंकड़ों का नियमित एकत्रीकरण, समेकन ओर विश्लेषण किया जा सके । इस प्रकार के आंकड़े परिणामात्मक संकेतकों पर मानकों, निर्धारित प्रारूप और समुचित सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रक्रियाओं, निवेश, उत्पादन और परिणाम संकेतकों के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इन आंकड़ों पर कार्यक्रम मानीटरिंग और प्रबन्धन सूचना प्रणाली तैयार की जाएगी।

6.3. नियमित मानीटरिंग और सभी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी के लिए ईसीसीई के अन्तर्गत सेवाओं के पूर्ण विवरण को शामिल करते हुए मातृ शिशु कार्ड को व्यापक रूप से इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी किया जाएगा । आईसीडीएस/ एनआरएचएम/एसएसए आंकड़ों को पहचानने और इनकी कमियों को दूर करने के लिए आईसीडीएस/एनआरएचएम/एसएसए के बीच तालमेल रखा जाएगा। निर्धनतम लोगों तक पहुँचने के लिए सूचनात्मक प्रणाली को इस्तेमाल करने की विशेष रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है।

7. शोध, मूल्यांकन और प्रलेखीकरण

7.1 नीति, शोध और व्यावहारिक अभ्यास के संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रारम्भिक वर्षों से ही बच्चों को ट्रैक करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन सहित प्रारम्भिक बाल्यावस्था के क्षेत्र में मौलिक शोध के लिए निधियॉ आबंटित की जाएंगी।

7.2. देशज ज्ञान उत्पन्न करने और ईसीसीई कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की योजना, कार्यान्वयन और मानीटरिंग का साक्ष्य पर आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती और प्रचालनात्मक/परिचालन शोध को बढ़ावा दिया जाएगा । सभी हस्तक्षेपों के

समग्र समाकलन के लिए प्रभाव मूल्यांकन(इम्पैक्ट इवैल्यूएशन) किया जाएगा और नवाचार मॉडल बनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यात्मक अन्वेषण किया जाएगा ।

8. जागरुकता और हिमायत

8.1. माता-पिता और अन्य पणधारियों के बीच विकासानुकूल ईसीसीई की समझ की कमी और यह व्यापक सोच कि बच्चे केवल माता की जिम्मेदारी ही है, ईसीसीई को ठीक प्रकार से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी बाधा है । इसके साथ ही साथ आयु विशिष्ट आवश्यकताओं, विकासानुकूल हस्तक्षेपों और उपेक्षा के प्रभाव को समझने में कमी भी निहित है।

8.2. उपरोक्त के समाधान के लिए, माता-पिता, देखभालकर्त्ताओं, पेशेवरों और समुदाय, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों (यू एल बी) तक पहुँचने के लिए लोक संगीत, मुद्रण और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को शामिल करते हुए मीडिया और अंतर व्यक्तिगत संचार की कार्यनीतियों का विस्तृत उपयोग किया जाएगा । माता-पिता और समुदाय तक पहुँचने के लिए संपर्क विस्तार कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे उन्हें ईसीसीई कार्यक्रम में शामिल होने, उनका समर्थन करने, योजना और मानीटरिंग करने के योग्य बना सके ।

9. समभिरूपता और समन्वयन

9.1. बच्चों की आवश्यकताएं स्वभावतया बहुमुखी हैं और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल और स्वच्छता, श्रम और वित्त सहित विविध क्षेत्रों में नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। स्वतन्त्र रूप से घोषित नीतियां जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) संशोधित राष्ट्रीय बाल नीति(2013); राष्ट्रीय आयुष नीति (2002) इत्यादि तथा ईसीसीई पर प्रभार डालने वाले कार्यक्रम और अन्य सभी साधनों को वर्तमान नीति के साथ पुन: उन्मुख किया जाएगा ।

इन सम्बन्धित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में विनियमित, प्रचालक और वित्तीय तालमेल को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त कर लिया जाएगा ताकि संसाधनों की इष्टतम उपयोगिता हो सके ।

9.2. उपयुक्त संस्थागत तंत्रों के माध्यम से तथा विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं में समन्वय व तालमेल स्थापित किया जाएगा । बहुमुखी पणधारियों के साथ

स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर समन्वयन और समभिरूपता प्राप्त की जाएगी।

9.3. यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 का अधिदेश 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है किंतु बहुत से राज्यों में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भारी तादात में प्राइमरी स्कूल में जाते हैं । अत: मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों से अभिसरण अति आवश्यक है । विशेषरूप से बाल केंद्रित और खेल आधारित कार्यनीति अपनाने के लिए और 5-6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी हस्तक्षेप पहुंचाने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2010) धारा 11 के संदर्भ में बाल केन्द्रित और खेलकूद पर आधारित पहुँच और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी करने के लिए उपायों का विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा ।

10. सांस्थानिक और कार्यान्वयन प्रबन्ध

10.1 ईसीसीई कार्यक्रमों और सेवाओं का निरीक्षण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपने राज्य स्तरीय सहभागी विभागों सहित नोडल मंत्रालय होगा । सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य आबंटन नियमावली के तहत ईसीसीई को एक विषय बनाने का परामर्श दिया जाएगा जैसा कि भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत किया गया है ।

10.2. इस नीति के मुख्य प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप इस नीति की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर किए जाएंगे।

10.3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक ईसीसीई सेल/डिवीजन स्थापित किया जाएगा जो कार्य-योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा तथा बहु-क्षेत्रीय और अन्तर एजेंसी समन्वय के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर समन्वयक के रूप में कार्य करेगा । देश भर में गुणवत्ता मानदंड तथा मानकों के अनुसरण को सुनिश्चित करने के लिए ईसीसीई सेल में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा ।

10.4. इस नीति की अधिसूचना के तीन माह के भीतर एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद् स्थापित की जाएगी और उसके बाद राज्यों में इस नीति की अधिसूचना के 18 माह के भीतर सदृश परिषदें स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद समुचित व्यावसायिक विशेषज्ञ सहित एक शीर्ष निकाय होगा जो स्वायत्त होगा और राष्ट्रीय ईसीसीई नीति का मार्गदर्शन करने तथा कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए उसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधि आबंटित की जाएगी। यह विस्तृत ईसीसीई प्रणाली को स्थापित करके तथा प्रशिक्षण के रूपों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने, गुणवत्ता मानकों तथा संबद्ध

कार्यकलापों के साथ-साथ कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देने जैसे बहु-मॉडल और बहु-घटक उपायों को सुगम बनाने तथा उसकी सहायता करने वाले एकीकृत कार्यढ़ाचे को तैयार करने की स्थापना करके भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ करने में योगदान देगा ।

10.5. यह नीति भारत के विकेन्द्रीकृत कार्यढांचे में परिचालित होगी तथा इसमें समुदाय, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर समितियों के लिए प्रावधान शामिल होंगे । यह आईसीडीएस के मिशन तथा देखभाल/निगरानी समितियों के साथ उचित सामंजस्य में होगा, जिसमें समुदाय सदस्यों, माताओं के समूह, स्थानीय स्व: सरकारी संस्थाओं (पी आरआई/यूएलबी) के शामिल होने के लिए प्रावधान हैं ।

10.6. देश की सामाजिक और भौगोलिक विविधता को स्वीकार करते हुए, नीति स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों से सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन के लिए अनुमति देगी । जिला स्तरीय प्रशासनिक एककों और पंचायतों को ईसीसीई कार्यक्रमों के लिए और अधिक विकेन्द्रीकृत योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा । ग्रामीण शिक्षा समितियां, माताओं (माता-पिता) की समितियां, ग्राम संसाधन ग्रुपों और पी आर आई जैसे समुदाय आधारित संगठन को इसमें शामिल किया जाएगा और विभिन्न सेवा प्रावधानों में ईसीसीई केंद्रों के प्रबंधनों में भाग लेने तथा उनका निरीक्षण करने के लिए और सेवाओं के कोटिपरक कार्यकरण का उत्तरदायितव सुनिश्चित करने के लिए उनकी सक्षमताओं को सुदृढ किया जाएगा ।

10.7. राष्ट्रीय ईसीसीई नीति, राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूप रेखा और गुणवत्ता मानकों के क्रियान्वयन और सम्पूरक के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम, एसएसए, आईसीडीएस, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच), शिशुगृह कार्यक्रम की वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं तथा इसी प्रकार के राष्ट्रीय/ राज्य/स्थानीय निकायों जिसमें पी आर आई भी शामिल हैं और परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शाला-पूर्व शिक्षा और जल तथा स्वच्छता के अन्य कार्यक्रमों की राष्ट्रीय/राज्य कार्य योजना में प्रतिबिम्बित होंगे।

10.8 सरकार, नीति में शामिल विभिन्न पहलुओं के अनुसार समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी।

10.9. प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के समेकित बाल विकास के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास, संरक्षण, देखरेख, शिक्षा और उत्तरजीविता की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयु अनुरूप प्रावधान से सर्वांगीण बाल

विकास को बढ़ावा देने हेतु धारा 5.2.2 में प्रस्तावित विनियमन कार्यढांचे के अतिरिक्त सरकार समुचित विधान लाएगी ।

11. भागीदारियां

11.1. संसाधन ग्रुपों/विशेषज्ञों और पेशेवरों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं से स्वैच्छिक कार्य ग्रुपों की क्षेत्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तरों पर पहचान की जाएगी और ईसीसीई में मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और क्षमता निर्माण के सरकारी प्रयासों में क्रमिक और प्रभावी तरीके से सहायता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाएगा।

11.2. नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने प्रयासों में सहायता लेने के लिए, सरकार निश्चित समयावधि के लिए समुदाय, गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं और निजी सेवा प्रदाताओं सहित बहुमुखी स्टेकहोल्डरों के साथ समयबद्ध भागीदारी के लिए पहल कर सकती है ताकि निश्चित दिशा निर्देशों और मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके ।

12. प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के प्रति निवेश में वृद्धि

12.1. साक्ष्यों से यह पता चलता है कि बाल्यावस्था के प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों की सेहत में सुधार लाने के लिए किए गए निवेश पर लाभ की दर उच्चतम रही है।

12.2. सरकार गुणवत्ता ईसीसीई उपायों पर कुल खर्च को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है।

12.3. प्रारम्भिक बाल्यावस्था (गर्भधारण से 6 वर्ष तक) और ईसीसीई बजटिंग प्रारम्भिक वर्षों में निवेश का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में कार्य करेगा । बच्चों के लिए निवेश का जायज़ा लेने के लिए तथा संसाधन निवेश और उपयोग में अन्तर को पहचानने के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था के लिए विकेन्द्रीकृत बाल बजटिंग की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाएगी । इससे बाल विकास के परिणामों का मूल्यांकन भी होगा।

13. समीक्षा

नीति के कार्यन्वयन की प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाएगी । क्रियान्वयन की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन भी किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बीच में ही सुधार किए जाएंगे ।